



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शनिवार, 21 जून, 2025 ई0

ज्येष्ठ 31, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

पंचायतीराज अनुभाग-1

संख्या 885/XII(1)/2025/86(16)2019

देहरादून, 21 जून, 2025

अधिसूचना

निर्वाचन

उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम-2016 (यथासंशोधनों सहित प्रवृत्त) की धारा-14 की उपधारा (3), धारा-59 की उपधारा (3) एवं धारा-96 की उपधारा (3) के प्रावधानों के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से प्रदेश के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2025 (सदस्य ग्राम पंचायत, प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत) कराये जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित समय-सारणी निर्धारित करते हैं:-

- | | | |
|--|---|----------------------------|
| 1. शासन द्वारा अधिसूचना निर्गत किया जाना | : | दिनांक 21.06.2025 (शनिवार) |
| 2. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना निर्गत किया जाना | : | दिनांक 21.06.2025 (शनिवार) |
| 3. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचना निर्गत किया जाना | : | दिनांक 23.06.2025 (सोमवार) |

निर्वाचन चक्र	नामांकन की तिथियां	नामांकन पत्रों की जांच की तिथि	नामांकन वापसी की तिथि	निर्वाचन प्रतीक चिन्ह का आवंटन	मतदान की तिथि	मतगणना एवं परिणामों की घोषणा
प्रथम चक्र	25.06.2025 से 28.06.2025	29.06.2025 से 01.07.2025	02.07.2025	03.07.2025	10.07.2025	19.07.2025
द्वितीय चक्र	तदैव	तदैव	तदैव	08.07.2025	15.07.2025	तदैव

आज्ञा से,

चन्द्रेश कुमार,
सचिव।